रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269648
CG-DL-E-29012026-269648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, बुधवार, 28 जनवरी, 2026/माघ 8, 1947
No. 368] NEW DELHI, WEDNESDAY, 28 JANUARY, 2026/MAGHA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 396(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1426(अ), दिनांक 05 मई, 2017 द्वारा, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (पुराना एनएच-80) के किलोमीटर 65.000 से किलोमीटर 190.000 (मुंगेर से मिर्जाचौकी खंड) के स्ट्रेच को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा) को सौंपा है;

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए), के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के डिजाइन किलोमीटर 73.020 से किलोमीटर 193.931 (मौजूदा किलोमीटर 72.950 से किलोमीटर 190.000) तक मुंगेर से मिर्जाचौकी खंड के चार या अधिक लेन के 114.62862 किमी की निवल लंबाई वाले सड़क खंड [सारणी-2] और 7.3238 किलोमीटर (0.73238 किमी की लंबाई वाली [सारणी-4]) की समतुल्य संरचना (लंबाई 60 मीटर से अधिक) लंबाई के उपयोग के लिए नीचे दिए गए सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले 5.55 किलोमीटर लंबाई [सारणी-3] के बाईपास के लिए डेढ़ गुना आधार दर पर सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहन के प्रकार पर शुल्क उदग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी -1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
टोल प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय	दर जिस पर शुल्क संदेय है
बिहार राज्य के मुंगेर जिले में कल्याणपुर गाँव के पास एनएच-33 के किमी/चेनेज 90.450 पर	51.76676 [बाईपास की लंबाई (लागत≥10 करोड़) और संरचना की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
बिहार राज्य के भागलपुर जिले में धनौरा गाँव के पास एनएच-33 के किमी/चेनेज 160.400 पर	62.86186 [बाईपास की लंबाई (लागत≥10 करोड़) और संरचना की लंबाई (> 60 मीटर) को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल (किमी में)	**114.62862**	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए होगा:-

सारणी-3						
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए	पर मिलते हुए	बाईपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (किमी में)	लागत (करोड़ में)	
बिहार राज्य के भागलपुर जिले में धनौरा गांव के पास एनएच-33 के किमी/चैनज 160.400 पर	पीरपैंती बाईपास	डिजाइन किमी 179.900 (मौजूदा किमी 177.350)	डिजाइन किमी 185.450 (मौजूदा किमी 182.230)	5.550	170.440	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित संरचनाओं के उपयोग हेतु ऐसी संरचनाओं की लंबाई को 10 के समतुल्य कारक से गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

सारणी-4			
टोल प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं^ की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	वह दर जिस पर शुल्क संदेय है
बिहार राज्य के मुंगेर जिले में कल्याणपुर गांव के पास एनएच-33 के किमी/चेनज 90.450 पर	0.21324	2.1324	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
बिहार राज्य के भागलपुर जिले में धनौरा गांव के पास एनएच-33 के किमी/ चेनज 160.400 पर	0.51914	5.1914	चार या अधिक लेन के लिए उपरोक्त सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल	**0.73238**	**7.3238**	

^विवरण निम्नलिखित है:-

	चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1.	78.721	78.8328	आरओबी	0.11184
2.	122.3053	122.4067	बड़ा पल	0.1014
3.	132.6650	132.6749	आरओबी	0.0662
4.	153.7476	153.9504	बड़ा पुल	0.2028
5.	164.3958	164.5341	आरओबी	0.1383
6.	190.773	190.8848	आरओबी	0.11184
कुल				**0.73238**

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रुपए (रुपए तीन सौ चालीस मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. जिस ज़िले में शुल्क प्लाज़ा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

8. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 5739.69 करोड़ रुपए है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी-13030/1/2025-पीआईयू मुंगेर/ई-260953]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 396(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (number S.0.1426(E) dated the 5th May, 2017, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 65.000 to kilometer 190.000 (Munger to Mirzacahuki section) of National Highway No. 33 (Old NH-80) in the State of Bihar to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 114.62862 km (Table-2) and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 7.3238 km (having length of 0.73238 km [Table-4]) and at one and half times the base rate for bypasses having length of 5.55 km (Table-3) costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four or more lane of Munger to Mirzachauki section from design kilometer 73.020 to kilometer 193.931 (existing km 72.950 to km 190.000) of National Highway number 33 in the State of Bihar and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely :-

Table-1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 90.450 of NH-33 near village Kalyanpur in Munger district of State of Bihar	51.76676 [Excluding length of Bypass (costing ≥10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 160.400 of NH-33 near village Dhanaura in Bhagalpur district of State of Bihar	62.86186 [Excluding length of Bypass (costing ≥10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Total (In Km)	**114.62862**	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of for bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km/Ch. 160.400 of NH-33 near village Dhanaura in Bhagalpur district of State of Bihar	Pirpainti Bypass	Design km 179.900 (existing km.177.350	Design km 185.450 (existing km 182.230)	5.550	170.440	150% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures^ (in Equivalent km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 90.450 of NH-33 near village Kalyanpur in Munger district of State of Bihar	0.21324	2.1324	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km/Ch. 160.400 of NH-33 near village Dhanaura in Bhagalpur district of State of Bihar	0.51914	5.1914	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
Total	**0.73238**	**7.3238**	

^The details are as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1.	78.721	78.8328	ROB	0.11184
2.	122.3053	122.4067	Major Bridge	0.1014
3.	132.6650	132.6749	ROB	0.0662
4.	153.7476	153.9504	Major Bridge	0.2028
5.	164.3958	164.5341	ROB	0.1383
6.	190.773	190.8848	ROB	0.11184
Total				0.73238

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 340.00 (Rupees Three Hundred and Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one-way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza fails shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 5739.69 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CODIV-13030/1/2025-PIU Munger/E-260953]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.01.29 17:11:38 +05'30'